


मंशीकर का आदेश

तारीख
हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

२०२१/२४

16-2-2022 वकील उभयपक्ष उपर। प्रा०पत्र 07 R 11 C. P. C.
खारिज किया जाता है। वादीगण का दावा स्वीकार
कर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।
पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर नम्बर से कम हो
सब बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


जुजिला कलेक्टर
गान्धु सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर
12 / 2021

तारीख रजू
29.1.2021

तारीख निर्णय
16.2.2022

1. अतरसिंह पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी सालोदा तह० गंगापुर सिटी
2. प्रकाश चंद गुप्ता पुत्र रामस्वरूप, महाजन नि. वैघ कॉलोनी तह. गंगापुर
—वादीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
2. पप्पू पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
3. बबलू पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
4. विष्णु पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बावत् बेदखली

उपस्थित : श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट वादीगण की ओर से
श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से
निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण भूमि ख०न० 921 रकबा 0.05 है० ग्राम मिर्जापुर का खातेदार काश्तकार है। वादीगण की गैर मौजूदगी में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में बिना किसी अधिकार के तिरपाल लगाकर झोपडीनुमा घर का निर्माण कर लिया है। वादीगण दिनांक 21.1.2021 अपनी भूमि पर गये तो देखा कि प्रतिवादीगण तिरपाल लगाकर उनकी भूमि में निवास कर रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को समझाया कि यह भूमि हमारी खातेदारी की भूमि है तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम इस पर पुख्ता निर्माण करायेगे तथा विरोध किया तो तुम्हारे खिलाफ एक्ट्रेसिटी का मुकदमा लगाकर बंद करवा देंगे। भूमि हॉल ख०न० 921 वादीगण की खातेदारी की भूमि है। जिस पर निर्माण आदि करने का या अतिक्रमण करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने तिरपाल लगाकर जो झोपडेनुमा निर्माण किया है उसे हटवाया जाकर भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाया जाना आवश्यक है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में तिरपाल लगाकर जो अतिक्रमण किया है उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा जिस तथाकथित भूमि का उल्लेख दावे के मद नम्बर 2 में किया गया है उक्त भूमि मिन जबाबदारान की करीब 70-80 साल पुरानी रिहायशी जायदाद जो ख०न० 904 में स्थित है। उक्त जादयाद में मिन जबाबदारान व



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतरसिंह वगैरा बनाम सुरेश वगैरा, दावा

(2)

उसका परिवार पिछले 70-80 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रहवास करता चला आ रहा है। मिन जबाबदारन की रिहायश के चरपेटवा ही पानी की सरकारी बोरिंग लगी है। यदि वास्तव में उक्त भूमि वादीगण की काश्तकारी की भूमि होती तो वह सरकारी बोरिंग को स्वयं की खातेदारी में नहीं लगने देते, इस प्रकार वादीगण का यह कथन स्वतः ही मिथ्या हो जाता है। मौके पर मिन जबाबदारान के कच्चे घर बने हुए हैं। मिन जबाबदारान न तो वादीगण से मिले हैं और ना ही उन्हें पहचानते हैं। वादीगण द्वारा मिन जबाबदारान की रिहायशी कब्जेशुदा जायदाद के सम्बन्ध में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। रिहायशी कब्जेशुदा जायदाद के सम्बन्ध में वाद सुनने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। इस कारण राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अभाव में दावा वादी प्रथम दृष्टया खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विधिक त्रुटियों से ग्रस्त होने और मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे और वादीगण को सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई।

1. आया भूमि ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 ग्राम मिर्जापुर के वादीगण खातेदार काश्तकार है।
—वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण ने वादीगण की गैरमौजूदगी में उपरोक्त भूमि में तिरपाल लगाकर झोपडीनुमा घर का निर्माण कर लिया है एवं उसमें रहवास चालू कर दिया है।
—वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण का यह अवैध अतिक्रमण है। जिसे वादीगण हटवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
—वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की करीब 70-80 पुरानी रिहायश जायदाद है जो भूमि ख0न0 904 में स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण एवं उनका परिवारशांतिपूर्ण तरीके से रहवास करते चले आ रहे हैं।
—प्रतिवादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की कब्जेशुदा रिहायशी जायदाद है। इससे सम्बन्धित वाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में यह वाद चलने योग्य नहीं है।
—प्रतिवादीगण

5. अनुतोष

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2073-76 ग्राम मिर्जापुर खाता संख्या 154 प्रदर्श-1 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी अतरसिंह पीडब्ल्यू 1 कराये है।



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सं०मा०)

अतरसिंह वगैरा बनाम सुरेश वगैरा, दावा

(3)

जबाबदावे के समर्थन मे प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। मौखिक साक्ष्य मे बयान प्रतिवादी बबलू हरिजन डीडब्ल्यू 1, गवाह मूलचंद लोधा डीडब्ल्यू 2, गवाह सीताराम लोधा डीडब्ल्यू 3 कराये है।

दिनांक 7.2.2022 को प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने विधिक प्रावधानों के विपरित दावा प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वज विगत 70-80 वर्षों से पुख्ता मकान बनाकर रहते चले आ रहे है। एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादीगण रिहायश भूमि का पट्टा नगर पालिका से प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। वर्तमान मे लोधा वस्ती मिर्जापुर वार्ड न0 8 मे स्थित है। वादीगण ने अपने वादपत्र मे भूमि की वर्तमान स्थिति को छिपाते हुए वादपत्र पेश किया है। लोधा वस्ती मिर्जापुर वार्ड न0 8 मे प्रतिवादीगण का आधार कार्ड, मतदाता सूची, राशनकार्ड बने हुए है। जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वादीगण का उक्त प्रतिवादीगण के रिहायशी भूमि से कोई वास्ता नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि ख0न0 921 की भूमि कहा पर स्थित है। भूमि ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 अन्यत्र स्थित होने अथवा सडक निर्माण के दौरान सडक मे जाने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। वादीगण ने लैण्ड होल्डर एवं आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 के तहत नगर परिषद आवश्यक पक्षकार है। ऐसी सूरत मे वादपत्र माननीय न्यायालय मे सुनवाई योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से सिविल न्यायालय मे वादपत्र एवं टीआई प्रार्थना पत्र दायर कर रखा है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. विधिक प्रावधानों के तहत किसी भी समय दायर किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि वादपत्र क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रार्थना पत्र पर सीधे ही बहस की गई।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वजो का विगत 70-80 सालो से रहवास चली आ रही है। जिसके बारे मे मोहल्ले के लोगो ने भी एक पंचनामा प्रस्तुत किया है जिसकी छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई। इसके अलाव परिवार राशनकार्ड, शहरी बीपीएल सेन्सस 2003 की प्रॉविजनल सूची आदि से भी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि जो कि वार्ड न0 8 मे स्थित है पर कब्जा प्रमाणित है। दावे मे विवादित भूमि आवासीय नेचर की होने के



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतरसिंह वगैरा बनाम सुरेश वगैरा, दावा
(4)

कारण दावा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज है एवं जब तक भूमि का सक्षम आदेश से रूपान्तरण नहीं होता है तब तक भूमि कृषि भूमि ही मानी जावेगी। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे की जो बात अंकित की है वह उन्होंने अपने जबाबदावे में भी अंकित की है। जिस पर तनकी संख्या 3 व 4 कायम हो चुकी है। इसलिए अब यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं है। अपने कथन के समर्थन में वादीगण के विद्वान वकील ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016 -17 (सप्लीमेंट्री) पेज 702 एवं न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 761 उद्धृत किये हैं। वकील वादीगण ने यह प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

हमारे द्वारा दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने मुख्य रूप से वादग्रस्त भूमि पर उनका 70-80 वर्ष से रहवास होने का तथ्य अंकित किया है एवं वादपत्र की प्रकृति सिविल नेचर की होने के कारण वादपत्र इस न्यायालय में नहीं चलने का तथ्य भी अंकित किया है। इस सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि के रूप में वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इस जमाबंदी के अनुसार कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि भूमि किसी अन्य प्रकार से प्रयोग में ली जा रही है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि भूमि आवासीय नेचर की है। चूंकि भूमि अभिलेख में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। इसलिए यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। जो तथ्य प्रतिवादीगण ने इस प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं, उन तथ्यों पर मूल वाद में तनकी कायम होकर दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत होकर दावा अंतिम बहस में है। इस स्टेज पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र हमारी राय में चलने योग्य नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० व 151 सी०पी०सी० खारिज किया जाता है।

मूल दावे में विद्वान वकील उभयपक्ष की फाइनल बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जो नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 से स्पष्ट है। इस भूमि पर प्रतिवादीगण ने त्रिपाल लगाकर झोपडीनुमा निर्माण कर लिया है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में है। प्रतिवादीगण



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतरसिंह वगैरा बनाम सुरेश वगैरा, दावा
(5)

द्वारा तिरपाल लगाकर किये गये इस झोपडीनुमा निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाया जावे। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वजो का विगत 70-80 सालो से रहवास चली आ रही है। जिसके बारे मे मोहल्ले के लोगो ने भी एक पंचनामा प्रस्तुत किया है जिसकी छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई। इसके अलाव परिवार राशनकार्ड, शहरी बीपीएल सेन्सस 2003 की प्रॉविजनल सूची आदि से भी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि जो कि वार्ड न0 8 मे स्थित है पर कब्जा प्रमाणित है। दावे मे विवादित भूमि आवासीय नेचर की होने के कारण दावा न्यायालय मे चलने योग्य नही है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तनकीवाईज विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार है-

1. आया भूमि ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 ग्राम मिर्जापुर के वादीगण खातेदार काश्तकार है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2073-76 ग्राम मिर्जापुर खाता संख्या 154 प्रदर्श 1 के अनुसार भूमि ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 वादी अतरसिंह व प्रकाशचंद हिस्सा 1/2-1/2 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार अभिलेख से यह तनकी वादीगण के पक्ष मे प्रमाणित है तथा वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

2. आया प्रतिवादीगण ने वादीगण की गैरमौजूदगी में उपरोक्त भूमि मे तिरपाल लगाकर झोपडीनुमा घर का निर्माण कर लिया है एवं उसमें रहवास चालू कर दिया है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादी अतरसिंह के बयानों से एवं इन बयानों पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह मे वादी ने दावा दायरी के कुछ दिन पूर्व ही वादी की गैरमौजूदगी मे वादग्रस्त भूमि पर तिरपाल लगाने का तथ्य अंकित किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण अपने जबाब मे यह कहकर आये है कि उनकी वादग्रस्त भूमि पर पिछले 70-80 साल से रिहायश चली आ रही है। इन दोनो तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की सहमति के बिना ही वादग्रस्त भूमि पर तिरपाल लगाकर झोपडीनुमा अस्थायी निर्माण कर लिया है। प्रतिवादीगण का यह निर्माण चूकि वादीगण की सहमति के बिना हुआ है जो वादीगण की खातेदारी भूमि मे होने के कारण अवैध निर्माण की श्रेणी मे आता



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सं०मा०)

अतरसिंह वगैरा बनाम सुरेश वगैरा, दावा
(6)

है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण का यह अवैध अतिक्रमण है। जिसे वादीगण हटवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि ख0न0 921 वादीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण अपने जबाब में वादग्रस्त भूमि में निर्माण की बात कहकर आये हैं और वादीगण भी यही बात कह रहे हैं कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की उपरोक्त भूमि में अवैध निर्माण कर लिया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि ख0न0 921 वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। प्रतिवादीगण इस भूमि पर मात्र निर्माण के आधार पर अपना अधिकार बता रहे हैं जो वगैर किसी दस्तावेज के हैं एवं कानूनन इसका कोई आधार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में जो निर्माण किया गया है वह कानून की नजर में अवैध है एवं अतिक्रमण है जिसे वादीगण हटवाने के अधिकारी है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में साबित होने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की करीब 70-80 पुरानी रिहायश जायदाद है जो भूमि ख0न0 904 में स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण एवं उनका परिवारशांतिपूर्ण तरीके से रहवास करते चले आ रहे हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण स्वयं अपने जबाब में ख0न0 904 में उनकी 70-80 साल पुरानी रिहायश होना बताते हैं। जिसका उन्होंने कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है। मात्र मौखिक रूप से कहने से उनके इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वाद ख0न0 921 को लेकर है जबकि वे रहवास ख0न0 904 में बता रहे हैं। इससे यह अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि ख0न0 921 से प्रतिवादीगण का कोई वास्त नहीं है और ना ही इस नम्बर के बारे में वे कोई विधिक अधिकारिता रखते हैं। फलस्वरूप यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की कब्जेशुदा रिहायशी जायदाद है। इससे सम्बन्धित वाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में यह वाद चलने योग्य नहीं है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतरसिंह वगैरा बनाम सुरेश वगैरा, दावा
(7)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जैसा कि तनकी नम्बर 4 में निर्णित किया जा चुका है कि प्रतिवादीगण उनकी रिहायश स्वयं ही ख0न0 904 में बता रहे हैं एवं रिहायश के बारे में तथा ख0न0 904 से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में प्रस्तुत भी नहीं किया है। चूँकि प्रस्तुत वाद ख0न0 921 के सम्बन्ध में है जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार कृषि भूमि है एवं कृषि भूमि के सम्बन्ध में विवादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। प्रतिवादीगण की यह तनकी प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

6. अनुतोष।

तनकीवाईज किये गये विवेचन के अनुसार तनकी नम्बर 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है एवं तनकी नम्बर 4,5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की गई है। इस प्रकार वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 स्थित ग्राम मिर्जापुर में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अस्थाई अवैध निर्माण को अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादीगण को इससे बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे मौके पर जाकर ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 ग्राम मिर्जापुर में स्थित प्रतिवादीगण के अवैध निर्माण को हटवाकर भूमि का कब्जा वादीगण को संभलावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकदमे इत्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत
इजलास

उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

1. अतरसिंह पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी सालोदा तह0 गंगापुर सिटी
2. प्रकाश चंद गुप्ता पुत्र रामस्वरूप, महाजन नि. वैघ कॉलोनी तह. गंगापुर

—वादीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. पप्पू पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. बबलू पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
4. विष्णु पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बावत् बेदखली मुकदमा नं. -12/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 स्थित ग्राम मिर्जापुर मे प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अस्थाई अवैध निर्माण को अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादीगण को इससे बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे मौके पर जाकर ख0न0 921 रकबा 0.05 है0 ग्राम मिर्जापुर मे स्थित प्रतिवादीगण के अवैध निर्माण को हटवाकर भूमि का कब्जा वादीगण को संभलावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.2.2022 को जारी किया गया ।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (संभा०)